महत्वपूर्ण / समयबद्ध / फैक्स

संख्या :– 375 / 1–11–2016–7(जी) / 2016टी0सी0–1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट धाम, इलाहाबाद, मीरजापुर एवं वाराणसी।

2– जिलाधिकारी,
पीलीभीत, रामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, महराजगंज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी तथा बलिया।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनॉक :: 31 अगस्त, 2016

विषयः वर्ष 2016 में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के फलस्वरूप जनपदों में हुई क्षति का विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वर्तमान मानसून की अवधि में प्रदेश में हुई भारी वर्षा, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी वर्षा से प्रदेश के 29 जिलें बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। विशेष रूप से यह अवगत कराना है कि गंगा नदी बेसिन में अत्यधिक पानी आ जाने के कारण गंगा के समीपवर्ती जनपदों इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी तथा बलिया में बाढ़ की विकराल स्थिति उत्पन्न हुई है।

2– जनपदों से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार बाढ़ से अब तक 568019.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। बाढ़ से अब तक प्रदेश के 29 जनपद की 21 लाख 17 हजार जनसंख्या प्रभावित हुई है। बाढ़ से जन हानि, पशु हानि, कच्चे एवं पक्के मकान, फसलों के अतिरिक्त, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों यथा–सड़कें, पुल, बांध आदि को भी भारी क्षति पहुंची है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही बाढ़ मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

3– इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार (आपदा प्रबंधन प्रभार), नई दिल्ली के पत्र संख्या–32–7 / 2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि एवं राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु विभिन्न प्रकार की मानक मदों एवं उनके मानक दरों का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार के उक्त दिशा–निर्देश में बाढ़ के दौरान मृतकों, घायलों तथा प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता, खोच बचाव एवं राहत कार्य के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों की सफाई, कृषि निवेश अनुदान, पशुपालन, मत्स्य पालन, क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु सहायता के अलावा निर्दिष्ट सेक्टर में बुनियॉदी ढॉचा / अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत / पुनर्स्थापना किये जाने का प्रावधान किया गया है।

4– अतः अनुरोध है कि प्रदेश में आयी भीषण बाढ़ से हुई क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण / आंकलन कराकर जनपद में हुई क्षति का विवरण (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों में) प्रत्येक दशा में 15 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रदेश में हुई अत्यधिक क्षति के सापेक्ष अतिरिक्त सहायता के लिये बाढ़ मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकें।

5– भारत सरकार को निर्धारित अवधि में बाढ़ मेमोरेण्डम प्रेषित किया जाना है। अतः व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।